

51312

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अपरिच्यत।
वकील वादी की एक पक्षीय बहस की सुना गया
वकील वादी ने प्राचीन पत्र में वर्णित स्थलों को
दोहराते हुए वाद पत्र में वर्णित वादग्रह आत्म
940 रुका 0.1010⁰ भूमि का स्वदेदार घोषित
किया जावे का कृपण किया गया। पत्रावली
का एक राजस्व रेकार्ड एवं दरुलियेजों का
अवलोकन किया गया। वाद पत्रावली पाया गया
कि वाद पत्र में वर्णित वादग्रह आरणी गंग
भारत के स्वारा संख्या 193 में वर्णित आरणी
नम्बर 940 रुका 0.1010⁰ भूमि का स्वदेदार
घोषित किया जाना व्यायसंगत है। अतः

वाद का वादपत्र स्वीकार किया जाय

वै. निषय एवं डि. की पत्रावली अद्यगते

उपखण्ड अधिकारी द्वारा शांति पत्रावली

इंगला



FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

जिल्ला

इंगला

इदम लाल

बनाम

न 12/4/7

कदमा

वाढे पत्र

नं.

९४/१७

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

किया गया । पत्रावली केवल शुमार
डिकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी,
इंगला